

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अति. शि./2024-25/124
प्रति

भोपाल, दिनांक 24/07/2024

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र./2013 दिनांक 04.07.2019।

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारु रूप संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए-

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा।
2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही-
 - 2.1 शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जायेगा।
 - 2.2 संदर्भित पत्र की कण्डिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा।
 - 2.3 विद्यालय जिनमें रिक्त पद है एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की निम्नानुसार कण्डिका 27 (iii) का पालन किया जायेगा- "The vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared." उक्त कण्डिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गये अतिथि शिक्षक को ही रखा जायेगा।
 - 2.4 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेंगे।
 - 2.5 विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आई.डी पर ज्वॉइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वॉइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जायेगी।



- 2.6 अतिथि शिक्षक ऑनलाईन ज्वॉइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वॉइन किये गये विद्यालय में दिनांक 07.08.2024 तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वॉइनिंग पत्र/आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
- 2.7 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाईन ज्वॉइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।
- 2.8 अतिथि शिक्षक, शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

3. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय-सारणी-

| शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही- | | |
|--|---|--------------------------|
| क्र. | गतिविधियाँ | समयसीमा |
| 1 | अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। | 30.07.2024 |
| 2 | अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। | 01.08.2024 से 07.08.2024 |
| 3 | शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। | 01.08.2024 से 07.08.2024 |

4. इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए-

| क्र. | गतिविधियाँ | समयसीमा |
|------|---|--------------------------|
| 1 | संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुये रिक्वेस्ट दर्ज करना। | 01.08.2024 से 04.08.2024 |
| 2 | संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही। | 05.08.2024 से 06.08.2024 |
| 3 | अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। | 06.08.2024 से 07.08.2024 |
| 4 | शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। | 07.08.2024 से 08.08.2024 |



5. प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वॉइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिये स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वॉइन कर सकेंगे।
6. अन्य सामान्य निर्देश –
 - 6.1 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुये एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
 - 6.2 विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
 - 6.3 शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अन्तिम दिवस संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करेंगे।
 - 6.4 संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
 - 6.5 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयको का परीक्षण कर भुगतान किया जाए।
 - 6.6 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किये गये मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करेंगे।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



(के.के.द्विवेदी)

संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/अति. शि./2024-25/125
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक- 24/07/2024

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री अंकुर दीक्षित टेक-लीड एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.